



पत्रांक- 10 नि० (कुक्कुट) 4/202519.57/25

दिनांक-.....23/05/2025

वित्तीय वर्ष 2025-26 में आत्म निर्भर बिहार के सात निश्चय-2 अंतर्गत "ब्रायलर पोल्ट्री फार्म (3000 क्षमता) के आधारभूत संरचना निर्माण पर अनुदान की योजना" के सफल कार्यान्वयन हेतु "कार्यान्वयन अनुदेश"

वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभागीय स्वीकृति आदेश पत्र संख्या-6 एस० एस० (6) 13/2023 - 2195 दिनांक-20.05.2025 के द्वारा कुल रूपये 370.00 लाख (रूपये तीन करोड़ सत्तर लाख) मात्र की अनुमानित लागत पर आत्म निर्भर बिहार के सात निश्चय-2 अंतर्गत "ब्रायलर पोल्ट्री फार्म (3000 क्षमता) के आधारभूत संरचना निर्माण पर 30 प्रतिशत अनुदान (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए 50 प्रतिशत) की योजना" की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृति आदेश की कंडिका-4 के आलोक में योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु निम्नांकित दिशा-निर्देश (कार्यान्वयन अनुदेश) निर्गत किया जाता है :-

1- उद्देश्य :-

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में पोल्ट्री मांस के उत्पादन में वृद्धि तथा पोल्ट्री मांस उत्पादन में राज्य को आत्मनिर्भर बनाना है। साथ ही राज्य में पोल्ट्री मांस उत्पादन से मानव उपयोग के निमित्त पशुजन्य प्रोटीन की उपलब्धता को बढ़ाना एवं लाभकारी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

2- योजना के मुख्य बिन्दु :-

- राज्य में पोल्ट्री मांस उत्पादन में वृद्धि हेतु "ब्रायलर फार्मिंग" को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना" के अन्तर्गत ब्रायलर पोल्ट्री फार्म (3000 क्षमता वाले) के आधारभूत संरचना निर्माण पर 30 प्रतिशत अनुदान (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए 50 प्रतिशत) दी जायेगी।
- योजना का कार्यान्वयन पशुपालन निदेशालय द्वारा किया जायेगा। पशुपालन निदेशालय स्तर पर ऑन लाईन (On line) आवेदन प्राप्त किया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राज्य होगा।
- "Deep litter system" पर आधारित 3000 क्षमता के एक ब्रायलर पोल्ट्री फार्म के आधारभूत संरचना निर्माण पर अधिकतम रूपये 10.00 लाख (दस लाख मात्र) की अनुमानित परियोजना लागत आकलित है। विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (Project Report) संलग्न है (अनुलग्नक-1)।
- सामान्य कोटि के लाभार्थी को 3000 क्षमता के एक ब्रायलर पोल्ट्री फार्म के आधारभूत संरचना निर्माण पर परियोजना लागत का 30% राशि अर्थात अधिकतम रूपये 3.00 लाख (तीन लाख मात्र) तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के लाभार्थी को परियोजना लागत का 50% राशि अर्थात अधिकतम रूपये 5.00 लाख (पांच लाख मात्र) का अनुदान दिया जायेगा।





- (v) वित्तीय वर्ष 2025-26 में सामान्य कोटि के तहत 75 लाभार्थी, अनुसूचित जाति कोटि के तहत 20 लाभार्थी तथा अनुसूचित जनजाति कोटि के तहत 5 लाभार्थी अर्थात् कुल 100 लाभार्थी को ब्रायलर पोल्ट्री फार्म (3000 क्षमता) के आधारभूत संरचना निर्माण पर अनुदान दिया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में ब्रायलर पोल्ट्री फार्म (3000 क्षमता) के आधारभूत संरचना निर्माण पर अनुदान का कोटिवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य संलग्न है (अनुलग्नक-2)।

3- लाभार्थी का चयन (आवेदन पत्र/योग्यता इत्यादि) :-

- (i) इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन कर आमंत्रित किया जायेगा। विज्ञापन का प्रकाशन सहायक निदेशक, पशुपालन सूचना एवं प्रसार, बिहार, पटना के माध्यम से कराया जायेगा।
- (ii) समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशन के उपरान्त ऑनलाईन लिंक खुलने की तिथि से 21 (इक्कीस) दिनों तक आवेदन ऑनलाईन समर्पित किये जा सकेंगे।
- (iii) योजना अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों को ऑनलाईन आवेदन करना होगा। इसके लिये विभागीय वेबसाईट (www.state.bihar.gov.in/ahd) पर दिये गये लिन्क (link) पर जाकर आधार संख्या/वोटर कार्ड संख्या से पंजीकरण (Registration) करना होगा। ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय सभी वांछित कागजातों/अनुलग्नकों को ऑनलाईन (Online) अपलोड (upload) करना अनिवार्य होगा।
- (iv) ऑनलाईन आवेदन करने से पहले पूर्वाभ्यास हेतु मॉडल आवेदन पत्र संलग्न है। आवेदन पत्र भरने से पहले सभी वांछित अनुलग्नकों को Scan कराकर Pdf format में Soft copy तैयार कर लिया जायेगा जिसे ऑनलाईन आवेदन के साथ निर्दिष्ट स्थान पर अपलोड किया जायेगा।
- (v) ऑनलाईन आवेदन समर्पित (Submit) करने के उपरान्त आवेदक को एक प्राप्ति रसीद प्राप्त होगा जिसमें आवेदन आई.डी के साथ उनके द्वारा जमा किये गये सभी कागजातों की प्राप्ति अंकित होगी। प्राप्ति रसीद में अंकित आई.डी./आधार संख्या/वोटर कार्ड संख्या एवं पासवर्ड से लॉग-इन (Login) कर आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।
- (vi) एक आवेदक द्वारा एक ही आवेदन पत्र समर्पित किया जायेगा।
- (vii) लाभार्थी को ब्रायलर पोल्ट्री फार्म की स्थापना के लिए आवश्यकतानुसार भूमि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। 3,000 क्षमता वाले ब्रायलर पोल्ट्री फार्म (Deep litter system पर आधारित) के आधारभूत संरचना निर्माण हेतु कम से कम 7,000 वर्गफीट (16.10 डिसमील) भूमि की आवश्यकता होगी। प्रस्तावित भूमि का सड़क से जुड़ा रहना आवश्यक होगा ताकि परिवहन इत्यादि सुविधाजनक रूप से हो सके।
- (viii) आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित ब्रायलर फार्म की भूमि का एक नजरी नक्शा जमा करना होगा। आवेदन पत्र के साथ नजरी नक्शा जमा नहीं किये जाने की स्थिति में नजरी नक्शा जिला स्तर पर गठित





त्रि-सदस्यीय स्थल निरीक्षण-सह-जांच समिति को स्थल निरीक्षण के समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

- (ix) ब्रायलर पोल्ट्री फार्म की स्थापना के लिए आवश्यक भूमि स्वयं की, पैतृक अथवा लीज की हो सकती है। पैतृक भूमि के मामले में पिता (यदि जीवित हों) सहित सभी कानूनी दावेदारों के द्वारा सम्मिलित रूप से अनापत्ति शपथ-पत्र समर्पित करना होगा। भूमि यदि लीज पर ली गई हो तो ऑनलाईन आवेदन के समय कम से कम नौ वर्षों के लिए भूमि लीज की अवधि शेष हो। आवेदक के नाम से भूमि होने की स्थिति में अद्यतन भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र/अद्यतन लगान रसीद अथवा लीज पर भूमि लेने की स्थिति में भू-स्वामी का अद्यतन भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र/अद्यतन लगान रसीद तथा लीज एकरारनामा (रूपये 1000 के Non-judicial stamp paper पर) अपलोड करना अनिवार्य होगा। उक्त एकरारनामा में यह अंकित रहना अनिवार्य होगा कि भूमि पर ब्रायलर पोल्ट्री फार्म का निर्माण किया जायेगा। अगर किसी आवेदक के द्वारा लीज एकरारनामा दिया गया हो तो वह इस शर्त के साथ मान्य होगा कि चयनित आवेदक को अनुदान के भुगतान के पहले लीज एकरारनामा को निबंधित कराना अनिवार्य होगा।
- (x) सीलींग की भूमि पर इस योजना का लाभ देय नहीं होगा।
- (xi) यदि यह पाया जाता है कि एक ही भूमि पर एक से अधिक आवेदकों द्वारा ब्रायलर पोल्ट्री फार्म के लिए आवेदन किया गया है तो इस स्थिति में पहले प्राप्त आवेदन पर ही विचार किया जायेगा।
- (xii) लाभार्थी द्वारा आवेदन के साथ विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (Detailed Project Report) संलग्न करना होगा। आवेदन पत्र के साथ विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (Detailed Project Report) संलग्न नहीं करने की स्थिति में विभाग द्वारा तैयार किया गया Model Project Report ही मान्य होगा।
- (xiii) लाभार्थी के चयन में मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थानों से कुक्कुट पालन में प्रशिक्षण प्राप्त आवेदकों (न्यूनतम पाँच दिनों का) को प्राथमिकता दी जायेगी। इस हेतु आवेदक को कुक्कुटपालन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- (xiv) 3,000 क्षमता वाले ब्रायलर पोल्ट्री फार्म (Deep litter system) स्थापित करने हेतु लाभार्थी के स्तर से निम्नांकित विवरणी के अनुरूप राशि की आवश्यकता होगी। आवेदन के समय आवेदक द्वारा बैंक ऋण की स्थिति में मार्जिन मनी के रूप में प्रोजेक्ट लागत का 10 प्रतिशत राशि एवं स्वलागत की स्थिति में परियोजना लागत की पूरी राशि उपलब्ध होना चाहिए। आवेदक को आवेदन के समय निम्नांकित विवरणी के कॉलम-5 में अंकित राशि की उपलब्धता संबंधी साक्ष्य जमा करना अनिवार्य होगा :-



पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



क्र० सं०	लाभार्थी की कोटि एवं पोल्ट्री फार्म संस्थापन की वित्तीय व्यवस्था (स्वलागत/बैंक ऋण)	परियोजना लागत (लाख रुपये में)	अनुमान्य अनुदान की राशि (लाख रुपये में)	आवेदन के समय आवेदक के पास वांछित राशि (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5
1	सामान्य (स्वलागत)	10.00	3.00	10.00
2	सामान्य (बैंक ऋण)	10.00	3.00	1.00
3	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (स्वलागत)	10.00	5.00	10.00
4	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (बैंक ऋण)	10.00	5.00	1.00

राशि की उपलब्धता संबंधी साक्ष्य के रूप में अद्यतन बैंक पास बुक/ बैंक के शाखा प्रबंधक के द्वारा सत्यापित खाता विवरणी (Account Statement)/ बैंक सावधि जमा अथवा बीमा का प्रत्यापण मूल्य (Surrender Value) जमा किया जा सकता है।

- (xv) बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रक्रिया लाभार्थी के द्वारा स्वयं की जायेगी। बैंक द्वारा लाभार्थी के ऋण ओवदन को अस्वीकृत कर दिये जाने की स्थिति में संबंधित लाभार्थी का यह दायित्व होगा कि वह अविलम्ब निदेशक, पशुपालन को इसकी सूचना दे एवं इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि वह स्वलागत से इसे पूरा करना चाहते हैं अथवा नहीं। स्वलागत से ब्रायलर पोल्ट्री फार्म का निर्माण कराये जाने की स्थिति में उन्हें स्वलागत के लिए आवश्यक राशि की उपलब्धता का साक्ष्य समर्पित करना होगा।
- (xvi) स्वलागत से ब्रायलर पोल्ट्री फार्म स्थापित करने वाले लाभार्थी को प्राथमिकता दी जायेगी बशर्ते कि उनके द्वारा व्यय की जाने वाली राशि की उपलब्धता संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत किया जाये।

4- लाभार्थी की चयन प्रक्रिया :-

- (i) लाभार्थी का प्रारंभिक चयन (Screening) पशुपालन निदेशालय के स्तर पर किया जायेगा। आवेदक द्वारा समर्पित किये गये आवेदन पत्र एवं सभी संलग्न कागजातों की जाँच हेतु संयुक्त निदेशक (मु०), पशुपालन निदेशालय की अध्यक्षता में गठित की जाने वाली त्रि-सदस्यीय स्क्रीनिंग समिति के द्वारा की जायेगी जो निम्नवत् होगी :-
- (क) संयुक्त निदेशक (मु०), पशुपालन निदेशालय — अध्यक्ष
- (ख) निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना — सदस्य
- (ग) नोडल पदाधिकारी, कुक्कुट/Admin, Online Application System — सदस्य
- (ii) उक्त त्रि-सदस्यीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा सभी प्राप्त आवेदन पत्रों (संलग्न कागजातों सहित) की जाँच की जायेगी। जाँच के क्रम में प्रारंभिक रूप से अयोग्य/त्रुटिपूर्ण आवेदनों के त्रुटि निराकरण हेतु



आवेदकों को सूचना देते हुये त्रुटि निराकरण का निदेश दिया जा सकता है। संबंधित आवेदक निर्धारित अवधि के अंतर्गत जिला पशुपालन पदाधिकारी के माध्यम से त्रुटि निराकरण हेतु प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध करा सकते हैं। स्क्रीनिंग समिति द्वारा त्रुटि निराकरण के क्रम में यदि किसी आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन के समय अपलोड में छुटे हुये साक्ष्य/ प्रमाण पत्र को त्रुटि निराकरण की निर्धारित अवधि तक प्रस्तुत किया जाता है तो स्क्रीनिंग समिति इस पर विचार कर सकती है। राशि संबंधी साक्ष्य अगर आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की प्रस्तुत की जाती है तो इससे संबंधित आवेदक की वरीयता प्रभावित होगी।

- (iii) त्रुटि निराकरण हेतु निर्धारित अवधि के अंतर्गत जिला पशुपालन पदाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों पर विचार करते हुये स्क्रीनिंग समिति के द्वारा सभी प्रारंभिक रूप से योग्य पाये गये आवेदकों की कोटि-वार सूची तैयार की जायेगी।
- (iv) प्रारंभिक रूप से योग्य पाये गये उपर्युक्त सूची के आवेदकों के आवेदन पत्र को संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के स्तर पर गठित की जाने वाली त्रि-सदस्यीय स्थल निरीक्षण-सह-जाँच समिति के स्तर से स्थल निरीक्षण एवं आवश्यक जाँच हेतु भेजा जायेगा।
- (v) जिला पशुपालन पदाधिकारी के स्तर पर गठित की जाने वाली त्रि-सदस्यीय स्थल निरीक्षण-सह-जाँच समिति में संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी अध्यक्ष के रूप में तथा सहायक कुक्कुट पदाधिकारी एवं जिला में पदस्थापित अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी/पशु शल्य चिकित्सक (जो भी वरीय हों) सदस्य के रूप में रहेंगे। यदि सहायक कुक्कुट पदाधिकारी/अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी/पशु शल्य चिकित्सक का पद रिक्त हो अथवा स्वीकृत नहीं हो, वहाँ संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के द्वारा जिला अन्तर्गत पदस्थापित किन्हीं अन्य वरीय पशु चिकित्सा पदाधिकारी को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जायेगा।
- (vi) त्रि-सदस्यीय स्थल निरीक्षण-सह-जाँच समिति द्वारा स्थल निरीक्षण एवं आवश्यक जाँचोपरान्त आवेदक द्वारा दी गई विवरणी सही पाये जाने पर संलग्न प्रपत्र-1 में अपनी अनुशंसा के साथ पशुपालन निदेशालय को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जायेगा।
- (vii) त्रि-सदस्यीय स्थल निरीक्षण-सह-जाँच समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के आधार पर सभी योग्य आवेदकों की निदेशालय स्तर पर गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा वरीयता सूची (कोटि-वार) तैयार की जायेगी तथा लक्ष्य के अनुरूप लाभार्थियों का अंतिम रूप से चयन (कोटि-वार) करने हेतु अनुशंसा की जायेगी।
- (viii) त्रि-सदस्यीय स्थल निरीक्षण-सह-जाँच समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के आधार पर सभी योग्य आवेदकों की कोटिवार वरीयता सूची निम्नांकित आधार पर तैयार की जायेगी :-
 - (1) स्वलागत + प्रशिक्षण/अनुभव – प्रथम प्राथमिकता
 - (2) स्वलागत – द्वितीय प्राथमिकता
 - (3) बैंक ऋण + प्रशिक्षण/अनुभव – तृतीय प्राथमिकता

वरीयता क्रम आवेदन जमा किये जाने के क्रम में होगा अर्थात् "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी। वरीयता सूची में सबसे उपर प्रथम प्राथमिकता के दायरे में आनेवाले



बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



आवेदक आवेदन जमा किये जाने के क्रम में होंगे। तत्पश्चात् क्रमशः द्वितीय प्राथमिकता एवं तृतीय प्राथमिकता के दायरे में आनेवाले आवेदक आवेदन जमा किये जाने के क्रम में होंगे। शेष आवेदकों की वरीयता उपर्युक्त वर्णित तीनों प्राथमिकताओं के पश्चात् आवेदन जमा किये जाने के क्रम में होगी।

- (ix) लाभार्थी का अंतिम रूप से चयन निदेशक, पशुपालन की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा। लाभार्थी के चयन हेतु चयन समिति का गठन निम्नवत् किया जायेगा :-
- | | |
|---|------------|
| (क) निदेशक, पशुपालन, बिहार | - अध्यक्ष। |
| (ख) संयुक्त निदेशक (मु0), पशुपालन निदेशालय | - सदस्य। |
| (ग) निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान | - सदस्य। |
- (x) चयन समिति द्वारा लाभार्थियों के अंतिम चयन के उपरांत निदेशक, पशुपालन के स्तर से लाभार्थी का चयन संबंधी स्वीकृति पत्र निदेशालय स्तर से निर्गत किया जायेगा एवं इसकी प्रति संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन/जिला पशुपालन पदाधिकारी को दी जायेगी।
- (xi) वित्तीय वर्ष 2024-25 की 3000 क्षमता के ब्रायलर फार्म की योजना में चयन उपरांत प्रतीक्षा सूचि के आवेदकों को सम्बंधित कोटि में प्राथमिकता के आधार पर चयन किया जायेगा।
- (xii) स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के 10 दिनों के अन्दर चयनित लाभार्थी को विभागीय प्रतिनिधि (संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी) के साथ रूपये 1000/- के नॉन-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर (Non-Judicial Stamp Paper) पर एकरारनामा करना अनिवार्य होगा।

5- ब्रायलर पोल्ट्री फार्म का निर्माण एवं अनुदान की राशि का भुगतान :-

- (i) लाभार्थी के द्वारा एकरारनामा संपादित किये जाने के उपरान्त उनके द्वारा समर्पित परियोजना प्रस्ताव के अनुरूप 30 दिनों के अन्दर ब्रायलर पोल्ट्री फार्म का निर्माण कराना प्रारम्भ किया जायेगा, जिसकी सूचना लाभार्थी द्वारा संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को दी जायेगी। ब्रायलर शेड एवं स्टोर रूम का निर्माण निर्धारित क्षेत्रफल में (विस्तृत परियोजना प्रस्ताव अनुलग्नक-1 के अनुरूप) तथा पक्का संरचना, एस्बेस्टस का छत (लोहे के ट्रश के साथ) पक्का फर्श सहित किया जायेगा।
- (ii) लाभार्थी के द्वारा ब्रायलर पोल्ट्री फार्म के आधारभूत संरचना का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि के 30 दिनों के उपरान्त संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित त्रि-सदस्यीय स्थल निरीक्षण-सह-जाँच समिति द्वारा चयनित लाभार्थी का स्थल निरीक्षण कर पशुपालन निदेशालय को ब्रायलर फार्म के आधारभूत संरचना की अद्यतन स्थिति के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जायेगा।
- (iii) एकरारनामा संपादित करने की तिथि से 30 दिनों के अंदर ब्रायलर पोल्ट्री फार्म के आधारभूत संरचना का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करने की स्थिति में संबंधित लाभार्थी का स्वीकृति पत्र निरस्त कर दिया जायेगा तथा इसके लिए लाभार्थी स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- (iv) एकरारनामा संपादित होने की तिथि से 4 माह के अन्दर लाभार्थी के द्वारा ब्रायलर पोल्ट्री फार्म के आधारभूत संरचना का निर्माण कार्य (Civil work) पूरा करना होगा।



- (v) लाभार्थियों को अनुमान्य अनुदान का भुगतान निदेशक, पशुपालन के द्वारा एकमुश्त किया जायेगा। लाभार्थी के द्वारा 3000 क्षमता वाले ब्रायलर पॉल्ट्री फार्म के आधारभूत संरचना निर्माण (सभी आवश्यक उपकरणों, बोरिंग, जेनरेटर सेट इत्यादि के संस्थापन सहित) के उपरान्त ही अनुदान का भुगतान किया जायेगा। इसके लिए लाभार्थी के द्वारा ब्रायलर पॉल्ट्री फार्म के आधारभूत संरचना निर्माण का साक्ष्य (फोटोग्राफ इत्यादि), सभी क्रय किये गये आवश्यक उपकरणों, बोरिंग, जेनरेटर सेट इत्यादि के अभिश्रव तथा फार्म के साथ लाभार्थी का फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा।
- (vi) लाभार्थी के द्वारा अनुदान की राशि प्राप्त करने हेतु विहित प्रपत्र (प्रपत्र-2) में आवेदन संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को समर्पित करना होगा, जिसकी प्राप्ति आवेदक को दी जायेगी।
- (vii) जिला पशुपालन पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित त्रि-सदस्यीय स्थल निरीक्षण-सह-जाँच समिति द्वारा आवेदन प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर स्थल निरीक्षण किया जायेगा। स्थल निरीक्षण के समय लाभार्थी का स्थल (ब्रायलर पॉल्ट्री फार्म) पर उपस्थित रहना आवश्यक होगा। स्थल निरीक्षण के क्रम में त्रि-सदस्यीय स्थल निरीक्षण-सह-जाँच समिति द्वारा पूरे ब्रायलर पॉल्ट्री फार्म की विधिवत् रूप से फोटोग्राफी करायी जायेगी।
- (viii) त्रि-सदस्यीय स्थल निरीक्षण-सह-जाँच समिति द्वारा ब्रायलर पॉल्ट्री फार्म का स्थल निरीक्षण एवं आवश्यक जाँचोंपरान्त संतुष्ट होने के पश्चात् लाभार्थी को अनुदान राशि का भुगतान करने हेतु अपनी अनुशंसा के साथ एवं स्थल निरीक्षण-सह-जाँच प्रतिवेदन (प्रपत्र-3) ब्रायलर पॉल्ट्री फार्म के फोटोग्राफ सहित संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्ति के 10 दिनों के अन्दर निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (ix) निरीक्षण-सह-जाँच प्रतिवेदन (प्रपत्र-3) पशुपालन निदेशालय में प्राप्त होने के उपरान्त अनुमान्य अनुदान का भुगतान लाभार्थी के द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक खाते में NEFT/RTGS/Pay ID के माध्यम से किया जायेगा जिसकी विधिवत् रूप से प्राप्ति का साक्ष्य पशुपालन निदेशालय में संधारित किया जायेगा।
- (x) संगत राज्यादेश की कंडिका-6 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना के लिये स्वीकृत राशि निदेशक पशुपालन, बिहार, पटना द्वारा एक मुश्त अग्रिम निकासी कर बिहार लाईवस्टॉक डेवलपमेन्ट एजेन्सी (बी०एल०डी०ए०), पटना के पी०एल० खाता (संख्या-PBBPLA028) में अंतरित किया जायेगा एवं योजना कार्यान्वयन हेतु व्यय किया जायेगा।

6- योजना का अनुश्रवण/अन्यान्य:-

- (i) जिला स्तर पर योजना का अनुश्रवण संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के स्तर से किया जायेगा। जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह ब्रायलर पॉल्ट्री फार्म का निरीक्षण/ब्रायलर पॉल्ट्री की जाँच की जायेगी। जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा इस कार्य में आवश्यकतानुसार जिले में पदस्थापित अन्य पशु चिकित्सकों का सहयोग लिया जा सकेगा।
- (ii) ब्रायलर पॉल्ट्री फार्म की स्थापना में Bio-Security measures का अनुपालन करना लाभार्थी का दायित्व होगा। जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा Bio-Security measures के अनुपालन की समीक्षा नियमित रूप से की जायेगी।



बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



- (iii) योजना अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों द्वारा प्रत्येक माह की पहली तारीख को संबधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को ब्रायलर पोल्ट्री फार्म का मासिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित करना होगा। संबधित जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा जिले में स्थापित सभी ब्रायलर पोल्ट्री फार्म से प्राप्त मासिक प्रगति प्रतिवेदन का संकलन कर प्रत्येक माह के 5वीं तारीख तक पशुपालन निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (iv) योजना की प्रगति की मासिक समीक्षा विभागीय स्तर पर की जायेगी।
- (v) अनुलग्नक-1 एवं अनुलग्नक-2 संगत विभागीय स्वीकृति आदेश से लिया गया है।
- (vi) किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में विवादों का निपटारा करने के लिये अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

(नमदीप शुक्ला)

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञापांक- 10 नि0 (योजना) 04/2025.....1957 (नि०)..... दिनांक- 23/05/2025

प्रतिलिपि :-विभागीय आई0 टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई (सभी संबधितों को ई-मेल करने) हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-परियोजना निदेशक, बी0एल0डी0ए0, पटना/ सहायक निदेशक, पशुपालन सूचना एवं प्रसार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार/सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।



कार्यालय :- जिला पशुपालन पदाधिकारी,

वित्तीय वर्ष 2025-26 में आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 के अंतर्गत "ब्रायलर पोल्ट्री फार्म (3000 क्षमता) के आधारभूत संरचना निर्माण पर अनुदान की योजना" का लाभ प्राप्त करने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में से त्रि-सदस्यीय स्थल निरीक्षण-सह-जाँच समिति द्वारा स्थल निरीक्षण एवं आवश्यक जाँचोपरान्त निदेशक, पशुपालन को समर्पित किये जाना वाला जाँच पत्र

आई.डी. संख्या-

आवेदक श्री/श्रीमती/सुश्री/.....पिता/पति
का नाम :-

ग्राम : पोस्ट :थाना

: प्रखंड : जिला :

..... पिन कोड :द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में आत्मनिर्भर

बिहार के सात निश्चय-2 के अंतर्गत "ब्रायलर पोल्ट्री फार्म (3000 क्षमता) के आधारभूत संरचना निर्माण पर अनुदान की योजना" हेतु समर्पित किये गये आवेदन पत्र में अंकित सभी सूचनाओं/तथ्यों की जाँच की गई एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तावित ब्रायलर पोल्ट्री फार्म यूनिट (3000 क्षमता) की स्थल पर जाकर स्थलीय जाँच की गई।

1- आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में अंकित सभी सूचना/तथ्य जाँचोपरान्त सही पाया गया/सही नहीं पाया गया। (जो लागू न हो उसे काट दें)

2- आवेदक द्वारा प्रस्तावित ब्रायलर पोल्ट्री फार्म यूनिट स्थल पर 3000 क्षमता के ब्रायलर पोल्ट्री फार्म (Deep litter system पर आधारित) का निर्माण किया जा सकता है/नहीं किया जा सकता है। (जो लागू न हो उसे काट दें)

3- कोई अन्य सूचना (यदि हो तो) -

.....

.....

4-आवेदक को "ब्रायलर पोल्ट्री फार्म (3000 क्षमता) के आधारभूत संरचना निर्माण पर अनुदान की योजना" हेतु चयनित करने की अनुशंसा की जाती है/निम्नांकित कारणों से अनुशंसा नहीं की जाती है (जो लागू न हो उसे काट दें)

(i).....

(ii).....

सहायक कुक्कुट पदाधिकारी का
हस्ताक्षर एवं मुहर।
(सदस्य)

जिला में पदस्थापित अवर प्रमंडल
पशुपालन पदाधिकारी/पशु शल्य
चिकित्सक (जो भी वरीय हों)
(सदस्य)

जिला पशुपालन पदाधिकारी
का हस्ताक्षर एवं मुहर।
(अध्यक्ष)



बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



प्रपत्र-2

वित्तीय वर्ष 2025-26 में आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 के अंतर्गत "ब्रायलर पोल्ट्री फार्म (3000 क्षमता) के आधारभूत संरचना निर्माण पर अनुदान की राशि प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र

प्रेषक,

आई.डी. संख्या-

पिता/पति का नाम :- ग्राम :
पोस्ट : थाना : प्रखंड:
जिला : पिन कोड : मोबाईल नं०-.....
सेवा में,

जिला पशुपालन पदाधिकारी,

विषय :- वित्तीय वर्ष 2025-26 में आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 के अंतर्गत "ब्रायलर पोल्ट्री फार्म (3000 क्षमता) के आधारभूत संरचना निर्माण पर अनुदान की योजना" के अन्तर्गत अनुदान की राशि प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र।

महाशय,

1- मेरे द्वारा आवेदन पत्र के साथ समर्पित परियोजना प्रस्ताव/ मॉडल प्रोजेक्ट के अनुरूप 3000 क्षमता के ब्रायलर पोल्ट्री फार्म के आधारभूत संरचना निर्माण के साथ सभी आवश्यक उपकरणों, बोरिंग, जेनरेटर सेट इत्यादि के संस्थापन कर लिया गया है। प्रमाण स्वरूप ब्रायलर मुर्गी फार्म के आधारभूत संरचना निर्माण का साक्ष्य (फोटोग्राफ इत्यादि), सभी क्रय किये गये आवश्यक उपकरणों, बोरिंग, जेनरेटर सेट इत्यादि के अभिश्रव तथा फार्म के साथ लाभार्थी का फोटोग्राफ को अनुदान राशि रूपये.....प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।


2- मुझे अनुदान राशि रूपये.....का भुगतान करने की कृपा की जाये (राशि अंक एवं शब्दों में)।

तिथि

आवेदक का हस्ताक्षर

(अनुदान दावा आवेदन पत्र में लाभार्थी अपना नाम एवं हस्ताक्षर तथा तिथि स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे)





प्रपत्र-3

कार्यालय :- जिला पशुपालन पदाधिकारी,

वित्तीय वर्ष 2025-26 में आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 के अंतर्गत के तहत "ब्रायलर पोल्ट्री फार्म (3000 क्षमता) के आधारभूत संरचना निर्माण पर अनुदान की योजना" अन्तर्गत अनुदान प्राप्ति के लिए लाभार्थी द्वारा समर्पित आवेदन पत्र का जाँच-पत्र

पशुपालन निदेशालय, बिहार के स्वीकृति पत्र संख्यादिनांकके आलोक में आवेदक श्री/श्रीमति/सुश्री

आई.डी. संख्या-

पिता/पति का नाम :-ग्राम : पोस्ट :

.....थाना : प्रखंड:जिला :

.....पिन कोड : द्वारा अनुदान के लिए समर्पित आवेदन/दावा के आलोक में लाभार्थी के द्वारा स्थापित ब्रायलर पोल्ट्री फार्म यूनिट स्थल पर जाकर जाँच की गई। जाँचोपरान्त पाया गया कि :-

1- लाभार्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ समर्पित परियोजना प्रस्ताव/ मॉडल प्रोजेक्ट के अनुरूप 3000 क्षमता के ब्रायलर पोल्ट्री फार्म के आधारभूत संरचना निर्माण के साथ सभी आवश्यक उपकरणों, बोरिंग, जेनरेटर सेट इत्यादि का संस्थापन पूरा कर लिया गया है। (लाभार्थी एवं त्रि-सदस्यीय स्थल निरीक्षण-सह-जाँच समिति/ विभागीय पदाधिकारी के साथ फार्म का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ संलग्न)

2- लाभार्थी श्री को अनुदान की राशि रूपये का भुगतान करने की अनुशंसा की जाती है।

(राशि अंक एवं शब्दों में)

सहायक कुक्कुट पदाधिकारी का
हस्ताक्षर एवं मुहर।
(सदस्य)

जिला में पदस्थापित अवर प्रमंडल
पशुपालन पदाधिकारी/पशु शल्य
चिकित्सक (जो भी वरीय हों)
(सदस्य)

जिला पशुपालन पदाधिकारी
का हस्ताक्षर एवं मुहर।
(अध्यक्ष)



बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



मॉडल एकरारनामा

वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 के अंतर्गत "ब्रायलर पोल्ट्री फार्म (3000 क्षमता) के आधारभूत संरचना निर्माण पर अनुदान की योजना" का लाभ प्राप्त करने हेतु

एकरारनामा

(1000/- रूपये (एक हजार रूपये) के ननजूडिसीयल स्टाम्प पेपर पर)

1. यह एकरारनामा पशु एवं मत्स्य संसाधन (पशुपालन) विभाग, विकास भवन, बिहार, पटना की ओर से जिला पशुपालन पदाधिकारी, एवं श्री (ब्रायलर पोल्ट्री फार्म के संस्थापक का नाम एवं पूरा पता) आई0डी0 संख्या-..... के बीच आज दिनांक-.....को बजे पूर्वा0/अप0 में संपादित (Execute) किया गया।
2. वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभागीय स्वीकृति आदेश पत्र संख्या-6 एस0 एस0 (6) 13/2023 - 2195 दिनांक-20.05.2025 के क्रम में आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 के अंतर्गत "ब्रायलर पोल्ट्री फार्म (3000 क्षमता) के आधारभूत संरचना निर्माण पर अनुदान की योजना" के सफल कार्यान्वयन हेतु निर्गत "कार्यान्वयन अनुदेश" पत्र संख्या-.....दिनांक-..... के आलोक में पशुपालन निदेशालय, बिहार के पत्रांक- दिनांक-..... के द्वारा निर्गत स्वीकृति पत्र के सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के क्रमांक-..... पर अंकित श्री
..... (ब्रायलर पोल्ट्री फार्म के संस्थापक का नाम एवं पूरा पता) को
..... (जिस स्थान पर ब्रायलर पोल्ट्री फार्म स्थापित किया जाना है उसका पूरा पता) में ब्रायलर पोल्ट्री फार्म की स्थापना करने हेतु चयनित किया गया है।
3. यह कि विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों (नियम एवं शर्तों) के अनुरूप ब्रायलर पोल्ट्री फार्म के संस्थापक द्वारा ब्रायलर पोल्ट्री फार्म की स्थापना एवं संचालन किया जायेगा।
4. संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं लाभार्थी के बीच एकरारनामा संपादित किये जाने के 30 दिन बाद संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित त्रि-सदस्यीय स्थल निरीक्षण-सह-जाँच समिति द्वारा चयनित लाभार्थी के ब्रायलर पोल्ट्री फार्म का स्थल निरीक्षण कर पशुपालन निदेशालय को ब्रायलर फार्म की स्थापना की अद्यतन स्थिति का प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।
5. नया ब्रायलर पोल्ट्री फार्म के स्थापना पर ही इस योजना के तहत अनुदान राशि का लाभ दिया जायेगा। पुराना स्थापित ब्रायलर पोल्ट्री फार्म पर इस योजना का लाभ देय नहीं होगा।



बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



6. लाभार्थी के द्वारा अनुदान की राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन विहित प्रपत्र (प्रपत्र-2) में संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा, जिसकी प्राप्ति रसीद आवेदक को दिया जायेगा।
7. जिला पशुपालन पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित त्रि-सदस्यीय स्थल निरीक्षण-सह-जाँच समिति द्वारा आवेदन प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर स्थल निरीक्षण किया जाएगा। स्थल निरीक्षण के समय लाभार्थी का स्थल (ब्रायलर मुर्गी फार्म) पर उपस्थिति रहना आवश्यक होगा। स्थल निरीक्षण के क्रम में त्रि-सदस्यीय स्थल निरीक्षण-सह-जाँच समिति द्वारा पूरे ब्रायलर फार्म का विधिवत् रूप से फोटोग्राफी कराया जाएगा।
8. त्रि-सदस्यीय स्थल निरीक्षण-सह-जाँच समिति द्वारा ब्रायलर मुर्गी फार्म का स्थल निरीक्षण एवं आवश्यक जाँचोंपरान्त संतुष्ट होने के पश्चात् स्थल निरीक्षण-सह-जाँच प्रतिवेदन प्रपत्र-3 में तैयार किया जाएगा। संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण-सह-जाँच प्रतिवेदन प्रपत्र-3 में (ब्रायलर पोल्ट्री फार्म शेड के फोटोग्राफ सहित) संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्ति के 10 दिनों के अन्दर पशुपालन निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
9. स्थल निरीक्षण-सह-जाँच प्रतिवेदन (प्रपत्र-3) पशुपालन निदेशालय में प्राप्त होने के उपरान्त लाभार्थी को अनुदान राशि का भुगतान लाभार्थी के नाम से NEFT/RTGS/Pay ID द्वारा किया जायेगा।
10. लाभार्थी को अनुदान राशि का भुगतान आधारभूत संरचना निर्माण के साथ सभी आवश्यक उपकरणों, बोरिंग, जेनरेटर सेट इत्यादि के संस्थापन के उपरान्त किया जायेगा। लाभार्थी के द्वारा ब्रायलर मुर्गी फार्म के आधारभूत संरचना निर्माण का साक्ष्य (फोटोग्राफ इत्यादि), सभी क्रय किये गये आवश्यक उपकरणों, बोरिंग, जेनरेटर सेट इत्यादि के अभिश्रव तथा फार्म के साथ लाभार्थी का फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा।
11. एकरारनामा संपादित करने की तिथि से 30 दिनों के अंदर कार्य प्रारंभ नहीं करने की स्थिति में स्वीकृति पत्र को निरस्त करने का अधिकार निदेशक, पशुपालन को होगा एवं इसके लिए लाभार्थी स्वयं जिम्मेवार होंगे।
12. ब्रायलर शेड एवं स्टोर रूम का निर्माण निर्धारित क्षेत्रफल में (विस्तृत परियोजना प्रस्ताव अनुलग्नक-1 के अनुरूप) तथा पक्का संरचना, एस्बेस्टस का छत (लोहे के ट्रश के साथ) पक्का फर्श सहित किया जायेगा। विभागीय निदेशों एवं स्वीकृति पत्र के अनुरूप ब्रायलर पोल्ट्री फार्म का संस्थापन नहीं करने की स्थिति में अनुदान की राशि लाभार्थी को नहीं दी जायेगी। यदि अनुदान की राशि लाभार्थी को भुगतान कर दिया गया हो तो लाभार्थी द्वारा उक्त राशि विभाग को वापस लौटा दी जाएगी अन्यथा वसूली हेतु विभाग किसी भी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।
13. भविष्य में यदि पाया गया कि लाभार्थी एवं उनके परिवार के सदस्यों (माता/पिता/पत्नी/पति/पुत्र/अविवाहित पुत्री/पुत्रवधु) के द्वारा पूर्व में विभाग द्वारा संचालित योजना के तहत ब्रायलर पोल्ट्री फार्म की स्थापना हेतु अनुदान प्राप्त किया गया है तो इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को कोई अनुदान देय नहीं होगा तथा यदि वर्तमान योजना में कोई अनुदान दे दिया गया है, तो इसकी वसूली किये जाने के साथ-साथ लाभार्थी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।
14. किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में विवादों का निपटारा करने के लिये अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
15. किसी भी प्रकार का वैधानिक मामला जिला-पटना, बिहार के क्षेत्रान्तर्गत होगा।



बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



जिला पशुपालन पदाधिकारी/ प्राधिकृत प्रतिनिधि ब्रायलर पोल्ट्री फार्म के चयनित संस्थापक/ लामार्थी का
का हस्ताक्षर, नाम एवं पदनाम। हस्ताक्षर, नाम एवं पूरा पता।

(डॉ०)

जिला पशुपालन पदाधिकारी,

.....)

(श्री)

.....

.....)

दो गवाहों के हस्ताक्षर

(पूरा नाम एवं पदनाम सहित)

1.....

2.....

दो गवाहों के हस्ताक्षर

(पूरा नाम एवं पता सहित)

1.....

2.....

Project Report for Settling up of 3000 Capacity Commercial Broiler Poultry Farm

A. Capital Investment on Infrastructure :-		
• Cost of construction of 3600 sq. ft. shed	@ Rs. 200 / sq.ft.	7,20,000
• Cost of construction of Store Room of 180 sq.ft.	@Rs. 400 / sq.ft.	72,000
• Cost of Equipments (Hanging feeder, Automatic drinker etc.) for 3000 birds	@ Rs. 20 / bird	60,000
• Water Supply (Water Pump, Boring, Pipeline, Genset etc.)		1,20,000
• Electric (wiring etc.)		15,000
• Miscellaneous		13,000
TOTAL		10,00,000
Subsidy & Beneficiary contribution		
Subsidy for General	(@ 30 %)	3,00,000
Margin Money (for Bank finance)		1,00,000
Subsidy for SC and ST	(@ 50 %)	5,00,000
Margin Money (for Bank finance)		1,00,000
B. Capital Expenses (Stock) :-		
• 3000 day old chicks will be supplied by Poultry Integrator alongwith Feed, Medicine, Vaccines, Veterinary Assistance etc.		-
• Electricity, Water supply, Litter material (per flock)		10,000
C. Income :-		
• Incentive provided by Poultry Integrator	@ 10/Kg. for 6000 kg. (@ 2 kg. per livebird avg.)	60,000
• Sale of Gunny bags (180 bags)	Rs. 15/ bag	2,700
• Sale of Manure (40 quintal).	Rs. 50 /quintal	2,000
TOTAL		64,700
D. Gross Profit :-		
• Income (C) - Expenditure (B)		54,700
Birds reared - 7 lot in a year (7 X 54,700)		3,82,900
E. Net Profit:- FOR GENERAL (Subsidy @ 30%)		
• Gross Profit		3,82,900
• LESS (-)		
(i) Depreciation on Equipments etc.	Avg. per year	12,000
(ii) Repayment of loan (@12%) i.e. Rs. 6.00 lakh (in four years i.e. 48 months)	@ 15800/- per month EMI	1,89,600
NET PROFIT	1st year	1,81,300
	2nd year	1,81,300
	3rd year	1,81,300
	4th year	1,81,300
	5th year	3,70,900
E. Net Profit:- FOR SC/ST (Subsidy @ 50%)		
• Gross Profit		3,82,900
• LESS (-)		
(i) Depreciation on Equipments etc.	Avg. per year	12,000
(ii) Repayment of loan (@12%) i.e. Rs. 4.00 lakh (in four years i.e. 48 months)	@ 10550/- per month EMI	1,26,600
NET PROFIT	1st year	2,44,300
	2nd year	2,44,300
	3rd year	2,44,300
	4th year	2,44,300
	5th year	3,70,900

2195
20/05/25

सरकार के अपर सचिव

[Signature]

अनुलग्नक-2

वित्तीय वर्ष 2025-26 में ब्रायलर पोल्ट्री फार्म (3000 क्षमता) के आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु अनुदान की योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि - लाख रुपये में)

क्र०	विवरण	सामान्य घटक	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक	जनजातीय क्षेत्र उपयोग	योग
1	प्रति यूनिट ब्रायलर पोल्ट्री फार्म हेतु अनुदान की राशि	3.00	5.00	5.00	-
2	ब्रायलर पोल्ट्री फार्म यूनिट की अनुमानित संख्या	75	20	5	100
3	अनुदान हेतु प्रस्तावित राशि :-	225.00	100.00	25.00	350.00
4	अन्य मदों यथा-कार्यालय व्यय, प्रकाशन एवं मुद्रण, कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला एवं सेमिनार तथा विज्ञापन एवं प्रकाशन हेतु प्रस्तावित राशि :-	15.00	4.00	1.00	20.00
	कुल प्रस्तावित राशि :-	240.00	104.00	26.00	370.00

(कुल रुपये तीन करोड़ सत्तर लाख मात्र)

2195
20/05/25

[Signature]
सरकार के अपर सचिव